# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

**अपील संख्या 2021/30 (30/2021)**

1. तरसेम सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ हाल आबाद मकान नं. 13/20 जीएस कॉलोनी जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

**—अपीलार्थी**

**बनाम**

1. कलावती धर्मपत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र जाति बिश्नोई तंदूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. पूर्णचंद पुत्र श्री मेधाराम जाति गोंसाई निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. श्योकोरी पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी बशीर तहसील जिला हनुमानगढ।

**— रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, दिनांक 23.02.2021,
प्र. सं. 25/2019

**उपस्थितिः–**

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भाबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2
श्री यादवेन्द्र सिह शेखों एवं विक्रमजीत बिश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेंट 3
श्री गुरप्रीतपाल सिह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

## निर्णय

दिनांक 28.2.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया जिसमें अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होने एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने का कथन करते हुए अप्रार्थी सं0 1 की भूमि में चक 2 एमकेएस बी के प. नं. 206/229 मु. नं. 36 के किला नं. 5/1, 6/1 के पूर्वी हिस्सा की और गै0 मु0 खाला से चिपते हुए उत्तर से दक्षिण एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि कानून रास्ता व खाला एक साथ नहीं चल सकते हैं प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध है जो चालू है उसे स्वीकार किया जावे एवं प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार टिब्बी से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट द्वारा किये गये कथनों को नजरअंदाज किया गया है। जिस भूमि हेतु रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है उसके चिपते रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की पुत्रवधू सुमन की भूमि है जिसे छिपाया गया है। चक नं. 2 एमकेएस (बी) के किला नं. 1 में तथा चक 4 एमकेएस के किला नं. 6 व 15 में मौका पर रास्ता चालू है। जो रिपोर्ट पटवार हल्का से मंगवाई है वह अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार करवाई है जिसमें जो पत्थर नम्बर है उसमें जानबूझकर काट छांट की गई है। उक्त रिपोर्ट में प. नं. 206/229 (36) के किला नं. 1 में पगडंडी होने व चक 4 एमकेएस के किला नं. 6 व 15 में रास्ता छोड़ा हुआ होने की रिपोर्ट है। जिसे नजरअंदाज किया गया है। प्रश्नगत रास्ता गैरमुमकिन खाला के चिपता हुआ स्वीकार किया है जिससे अपीलाण्ट को अपनी भूमि में काश्त व सिंचाई करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट ने रास्ता के संबंध में एक अन्य प्रकरण महेन्द्र कौर बनाम सुमन आदि 6/2021 विचाराधीन है जिसमें चक नं. 4 एमकेएस के किला नं. 5, 6, 15, 16, में रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा गया है। यदि यह रास्ता स्वीकृत हो जाता है तो चक के अन्य काश्तकारों को भी रास्ता उपलब्ध हो जायेगा। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भू–धारक है एवं आवश्यक पक्षकार है। इस कारण निर्णय पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त इसी चक 2 एमकेएस बी के प. नं. 206/229 (36) के किला नं. 1 में रासता स्वीकृत करवाने हेतु एक अन्य प्रकरण पूर्णचन्द बनाम तरसेम सिंह 35/2021 प्रस्तुत हुआ जिसमें अपीलाण्ट की कृषि भूमि 2 एम.केएस. (बी) के पत्थर नम्बर 206/2021 के किला नं. 1 में अर्थात पूर्व से पगडंडी वाले स्थान तक रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस कारण उक्त अपील से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंजूरशुदा रास्ता की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी कथनों के समर्थन में आरबीजे 2020 प. नं. 35, डीएनजे 2018 पेज नं. 36 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 के पास अपनी भूमि में आवागनम हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है तथा कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है। रेस्पो को अपनी आराजी में काश्त करने में भारी कठिनाई होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृतशुदा रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट ने जिस जिस प्रकरण पूर्णचन्द बनाम स्टेट 35/2021 के द्वारा रास्ता स्वीकृत करने का कथन किया है वह अपीलाण्ट ने अन्य रेस्पोडेण्ट के साथ दुभिसंधी करके इस अपीलाधीन आदेश के बाद स्वीकृत करवाया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने विधि अनुसार निर्णय पारित किया ।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि वह प. नं. 206/229 (36) किला नं. 10 में पश्चिमी सींव के साथ 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने में सहमत है इससे रेस्पो0 सं0 1 को अपनी भूमि में आवागमन सुचारू रहेगा। मुझ प्रार्थी द्वारा इंगित स्थान से रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ते में आई भूमि के एवज में भूमि दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं तो प्रार्थी को कोई एतराज नहीं है।

7. रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह काबिल खारिजी के है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेण्ट सं0 4 के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है अतः रेस्पोडेण्ट सं0 4 द्वारा इंगित रास्ता स्वीकृत किया जावे।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवेलोकन किया।

9. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तोवजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

10. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु मुख्यतः रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते का अभाव, तथा लघुतम मार्ग के बिन्दूओं देखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार टिब्बी की मौका व जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2021 उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 4 के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है एवं बिन्दू संख्या 5 के अनुसार आवेदित रास्ता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह रिपोर्ट आईएलआर द्वारा तैयार की गई है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है तथा उसे रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विलश्षण के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णयकी प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.2.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़